**प्रकाशित: 11 अगस्त 2019 को दैनिक जागरण में प्रकाशित**

**कश्मीरियत बनाम जम्हूरियत: धरती के स्वर्ग में अब लगेंगे चार चांद**

**प्रो. धीरज शर्मा**

अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ ही भारत का भाल जम्मू कश्मीर देश के धड़ से हर तरीके से जुड़ चुका है। ऐतिहासिक भूल को सुधारने वाली मोदी सरकार के साथ विश्व बिरादरी खड़ी है, वहीं देश के कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के चलते इस क्रांतिकारी भूल सुधार में मीन मेख निकाल रहे हैं। अनुच्छेद 370 अगर कश्मीरियत का पर्याय रहा, तो जम्हूरियत के अनादर का सबब भी बना। देश के किसी भी हिस्से में कमाई करने, जमीन खरीदने, शादी करने या फिर अपने मत से प्रतिनिधि चुनने को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है.यही असली लोकतंत्र है।

अनुच्छेद 370 के मौजूद रहते जम्मू-कश्मीर में देश के शेष हिस्से के लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। 370 को कश्मीरियत वाली पहचान की गारंटी माना जाए तो किसी सीमारेखा में बंद पहचान के क्या मायने हैं? अन्य राज्यों की भी अपनी विशिष्टता है, संस्कृति है, आचार-लोकाचार है। उन्मुक्त भाव से उनकी संस्कृति और पहचान की खुशबू देश-दुनिया में महक-फैल रही है। विशेष दर्जा पाया जम्मू-कश्मीर दशकों से उधार लेकर घी पीता रहा है। पिछले 16 साल में सभी राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान में दस फीसद सिर्फ इसी राज्य को मिला है। नई परिस्थितियों में निवेश और कारोबारी माहौल के साथ यह ज्यादा मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा।

राजनीतिक एकीकरण भी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कहीं ज्यादा बेहतर हो पाएगा। 370 की बिसात पर गोटियां फेंटने वाले स्थानीय राजनीतिक दल अब जनकल्याण के काम से खुद को जोड़ पाएंगे। ऐसे में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बतौर केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का भारत के साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहतर एकीकरण की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है।

वर्ष 2016 में सुरक्षा बलों द्वारा बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा बढ़ गई थी। इस अशांति के बाद उरी और पुलवामा की घटना हुई। भारत ने इन घटनाओं का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस सप्ताह भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। निर्णय के मद्देनजर, हर किसी को यह देखना चाहिए कि क्या अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से कश्मीरियों की बेहतरी होगी। मैंने शोधकर्ताओं की एक टीम का नेतृत्व किया, जिन्होंने कश्मीर के हालात को समझने के लिए कई हितधारकों से बात की। मैंने और मेरी टीम ने कश्मीर में अशांति के कारणों की पहचान करने के लिए स्थानीय लोगों, छात्रों, राजनेताओं, व्यापारियों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों, जम्मू और कश्मीर पुलिस कर्मियों, सेना के अधिकारियों और जेल के कैदियों से बात करके आंकड़े एकत्र किए। यह बातचीत कोकरनाग, अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, त्राल, अवंतीपोरा, बडगाम, पुलवामा, शोपियां जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से की गई।

अध्ययन के बाद टीम ने चार कारकों को कश्मीर की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार माना। पहला कारण पाकिस्तान, दूसरा राजनीतिक दल, तीसरा सुरक्षा बलों का विरोध और चौथा संस्थागत। इसलिए यह जांचना दिलचस्प होगा कि हाल के घटनाक्रम इन कारकों को कैसे प्रभावित करेंगे। पहला, कश्मीर की हिंसा में पाकिस्तान की भूमिका की पुष्टि किसी और ने नहीं खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने की है। उन्होंने कहा है कि हजारों सदस्यों वाले 40 आतंकी समूह पाकिस्तान में काम करते हैं।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ, भारत ने साफ कर दिया है कि कश्मीर अब विवादित क्षेत्र नहीं है और यह भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए, पाकिस्तान पोषित आतंकी समूहों द्वारा कश्मीर में किसी भी तरह की हिंसा अब युद्ध छेड़ने के बराबर होगी। अब कश्मीर में पाकिस्तान की गतिविधियों पर रोक लगेगी। दूसरा, कश्मीर में राजनीतिक दलों ने कश्मीर के विकास के लिए बहुत कम काम किया है। उदाहरण के लिए, कैग की रिपोर्ट बताती है कि 2014 में कश्मीर सरकार को दी गई बाढ़ राहत राशि दूसरे कामों में लगा दी गई और आपदा प्रबंधन खराब था। भारतीय अर्थव्यवस्था में जम्मू-कश्मीर का योगदान कुल जीडीपी का एक फीसद से भी कम है।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ आम कश्मीरी बेहतर राजकोषीय प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, योजना कार्यान्वयन, परियोजना निष्पादन और केंद्रीय एजेंसियों के तहत निधि के वितरण की उम्मीद कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप संभवत: कश्मीर में समृद्धि बढ़ेगी। तीसरा, कश्मीर में सुरक्षा बल राज्य में कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के कमजोर समर्थन के तहत काम करते हैं। एनसीआरबी डाटा के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 1.01 करोड़ की आबादी है, लेकिन केवल 2338 लोग ही जेल में हैं, जो दर्शाता है कि देश में सबसे कम जेल में बंद कैदियों की संख्या जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू-कश्मीर में जेलों की अक्यूपेंसी रेट 77.9 फीसद है। भारत के अधिकांश राज्यों में अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली जेलें हैं। धारा 370 को निरस्त करने के साथ, एक अधिक प्रभावी प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया की उम्मीद है।

चौथा, कश्मीर में संस्थागत कमजोरियां स्पष्ट हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के कारण जीएसटी और फेमा का कार्यान्वयन कश्मीर में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के साथ निवेश और पर्यटन में वृद्धि होगी। हमारे सर्वेक्षण के अनुसार, कश्मीर के 78 फीसद निवासी अनुच्छेद 35 ए नहीं चाहते हैं क्योंकि यह संपत्ति बेचने के उनके अधिकारों को कम करता है और अचल संपत्ति की कीमतों को कम रखता है। इस अनुच्छेद के हटने से क्षेत्र में संपत्ति की खुली खरीद और बिक्री से कश्मीरियों को तत्काल लाभ होगा।

अंत में, यह जांचने के लिए कि क्या भारत सरकार को कश्मीर में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन मिलेगा, हमने कश्मीर घाटी के प्रमुख हिस्से में एक सर्वेक्षण किया। जिसके परिणाम नीचे दिए गए हैं। सर्वेक्षण के परिणामों से साफ पता चलता है कि भारत सरकार को समर्थन मिलने की उम्मीद है। कश्मीर, भारत के लिए एक पुराना मुद्दा रहा है। अब एक रणनीतिक निर्णय लिया गया है। इसलिए, यह देखने की जरूरत है कि अगले कुछ वर्षों में स्थिति कैसे सामने आएगी।

|  |  |
| --- | --- |
| **शहर समर्थन में लोग (%)** | |
| अनंतनाग | 60% |
| अच्छाबल | 75.60% |
| अवंतीपोरा | 80.86% |
| पंपोर | 78.42% |
| त्राल | 33.33% |
| बिजबिहाड़ा | 60% |
| बडगाम | 81.16% |
| पुलवामा | 74.78% |
| शोपियां | 61.58% |
| श्रीनगर | 25.76% |
| सिंघापोरा | 80% |
| बारामुला | 66.45% |

**(लेखक आइआइएम रोहतक के निदेशक और अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले प्रदेश में सर्वे टीम के मुखिया हैं, यह लेख दैनिक जागरण में प्रकाशित है)**

[( https://www.jagran.com/editorial/apnibaat-kashmiriyat-vs-jamhooriyat-earths-heaven-jammu-kashmir-will-now-be-brighten-jagran-special-19479662.html](file:///C:\Users\comp3\Desktop\(%20https:\www.jagran.com\editorial\apnibaat-kashmiriyat-vs-jamhooriyat-earths-heaven-jammu-kashmir-will-now-be-brighten-jagran-special-19479662.html) )